न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी, धौलपुर

प्रकरण संख्या0 14/24

1. रामलखन पुत्र डरूआ आयु 46 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान।

..............................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी – सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वकील प्रार्थी – श्री सुखराम परमार अधिवक्ता
वकील अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

दिनांक 21.11.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी परिशिष्ट ''क'' के आराजी खसरा नम्बर 1664 रकवा 0.3800 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.3800 है0 हिस्सा 1/6 बाके ग्राम मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर तथा परिशिष्ट ''ख'' के आराजी खसरा नम्बर 1652, 1660, 1666, 1667, 1703 रकबा कमशः 0.1000, 0.3500, 0.2000, 0.0500, 0.5400 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2400 है0 हिस्सा 1/6 बाके ग्राम मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर मुताबिक भाग का खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त कर रहा है। नवीन बन्दोवस्त विभाग राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत 2074–77 की जमाबंदी बाके ग्राम मूढ़िक पटवार हल्का मूढ़िक तहसील बसेड़ी की बनी उसमें प्रार्थी का नाम रामलखन पुत्र डरूआ उक्त आराजी में गलत व अशुद्ध लक्ष्मन पुत्र डरूआ अंकित कर दिया है जो गलत व अशुद्ध है प्रार्थी का सही नाम रामलखन पुत्र डरूआ है। उक्त आराजियात का नामान्तकरण दाखिला खारिज हुआ था तब उस समय प्रार्थी द्वारा रामलखन पुत्र डरूआ ही दर्ज कराया था जो कि प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम है। प्रार्थी द्वारा अपने खेतों की नकल लेने व अन्य आवशकता पडने पर राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख को देखने पर पता चला कि रामलखन पुत्र डरूआ की जगह गलत व अशुद्ध लक्ष्मन पुत्र डरूआ अंकित कर दिया है। जिसे दुरस्त करवाने प्रार्थी पटवार हल्का एवं तहसीलदार बसेड़ी के यहां जाकर जमाबंदी दुरस्ती हेतु आवेदन व निवेदन किया परन्तु उन्होने इन्कार कर दिया तथा श्रीमान के यहां कार्यवाही कर दुरस्त कराने की कही थी। जिसकी दुरस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का गलत व अशुद्ध नाम लक्ष्मन पुत्र डरूआ के स्थान पर सही व शुद्ध नाम रामलखन पुत्र डरूआ दुरस्त कराने का अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:–

परिशिष्ट ''क'' के आराजी खसरा नम्बर 1664 रकवा 0.3800 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.3800 है0 हिस्सा 1/6 बाके ग्राम मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर तथा परिशिष्ट ''ख'' के आराजी खसरा नम्बर 1652, 1660, 1666, 1667, 1703 रकबा कमशः 0.1000, 0.

21.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

प्र0 नि0
दिनांक 27-12-...

Scanned with OKEN Scanner

3500, 0.2000, 0.0500, 0.5400 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2400 है0 हिस्सा 1/6 बाके ग्राम मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर में प्रार्थी गलत व अशुद्ध लक्ष्मन पुत्र डरूआ अंकित कर दिया है जो गलत व अशुद्ध अंकित कर दिया है। अर्थात हाल जमाबंदी मकें हाल बंदोवस्त विभाग द्वारा खातेदार काश्तकार रामलखन पुत्र डरूआ की जगह गलत व अशुद्ध लक्ष्मन पुत्र डरूआ अंकित कर दिया है। जो गलत व अशुद्ध है जिसे दुरस्त किया जाकर प्रार्थी का सही व शुद्ध नाम रामलखन पुत्र डरुआ राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार बसेडी की ओर से अपने जबाव में कथन किया है कि मुताविक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मूढ़िक हाल जमाबन्दी संवत 2074-77 खाता संख्या 87 व 612 में लक्ष्मण पुत्र डरुआ हिस्सा 1/6 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में नामा. संख्या 106 दिनांक 16.11.2010 विरासत के जरिये दर्ज हुआ है। रामलखन पुत्र डरुआ का घर का नाम लक्ष्मण है तथा इसी नाम से ही ग्राम में सभी पहचानते है। सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में भी रामलखन पुत्र डरुआ दर्ज है। रामलखन पुत्र डरुआ जाति ब्राह्मण का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम में नही है। रामलखन पुत्र डरुआ व लक्ष्मण पुत्र डरुआ एक ही व्यक्ति है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र डरुआ व रामलखन पुत्र डरुआ एक ही व्यक्ति है। जिसे लक्ष्मण पुत्र डरुआ के स्थान पर रामलखन पुत्र डरुआ शुद्ध किया जावे। हमने बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, मार्कशीट, जनआधार की फोटोप्रति व ग्राम पंचायत मूढ़िक के सजरा तथा तहसीलदार बसेड़ी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसेडी को आदेशित किया जाता है कि परिशिष्ट "क" के आराजी खसरा नम्बर 1664 रकवा 0.3800 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.3800 है0 हिस्सा 1/6 बाके ग्राम मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर तथा परिशिष्ट "ख" के आराजी खसरा नम्बर 1652, 1660, 1666, 1667, 1703 रकबा कमशः 0.1000, 0.3500, 0.2000, 0.0500, 0.5400 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2400 है0 हिस्सा 1/6 बाके ग्राम मूढ़िक तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर में लक्ष्मण पुत्र डरुआ के स्थान पर रामलखन पुत्र डरुआ शुद्ध कर दर्ज दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल अभिलेखागार हों।

तहरीर तहसीलदार बसेडी को जारी हो ।

आज दिनांक 21.11.2025 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर)

दिनांक 27-12-2024

Scanned with OKEN Scanner